तार : 'फूडकॉर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
०६९१११२३४१३२४१
००६९१११२३४१३१०३
Fax No. : HFCI ND
00911123413241
00911123413103

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००१, दूरभाष-२३४१३८७१-२३४१४८७२-२३४१४८८०
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 23413871-23414872-23414880

सं.आई.12/फैप/इम्प्लिमेंटेशन/2013 दिनांक: 05.11.2013

परिपत्र सं.फैप/14/2013

विषय : दिनांक 31.03.2013 तक के इतिशेष का मिलान।

फील्ड कार्यालयों को फैप और मैनुअल खातों के अनुसार दिनांक 31.03.2013 तक के इतिशेष का मिलान करना आवश्यक है ताकि फैप के माध्यम से सभी अनुसूचियों और सहायक बहियों के साथ-साथ वर्ष 2013-14 के लेखे भी तैयार किए जा सके।

2. दिनांक 31.03.2013 तक के इतिशेष के मिलान के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में फील्ड कार्यालयों से पत्र प्राप्त हुए हैं। फेप और मैनुअल लेखों के अनुसार इतिशेष के मिलान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) फैप से अनुसूची सृजित करने के लिए दिनांक 31.03.2013 तक की निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी:-

(i) क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेन्स – लेखा शीर्ष 1401, 1402, 1801, 1802 आदि की अनुसूची के लिए। पार्टी का बीजकवार विवरण देखने के लिए कृपया उसके लेखा शीर्ष में "अकाउंट्स पेयबल ट्रायल बैलेन्स" को रन करें।

(ii) प्रीपेयमेंट शैड्यूल रिपोर्ट – उन लेखों के लिए जहां अग्रिम, प्रीपेयमेंट बीजक अर्थात लेखा शीर्ष 2714, 4512 का प्रयोगवार दिया जाता है। अग्रिम लेखा की पूरी तस्वीर जान के लिए एपी से एआर मॉड्यूल तक स्वतः सृजित बीजकों के लिए डेबटर्स ट्रायल बेलेन्स रिपोर्ट भी देखी जानी चाहिए।

(iii) डेबटर्स ट्रायल बेलेन्स रिपोर्ट – डेबटर्स, 1806 और वेतन के माध्यम से कर्मचारियों के वसूली योग्य अग्रिम के अलावा दावों से संबन्धित लेखा शीर्षों के लिए ।

(iv) ऋण एवं अग्रिम बकाया रिपोर्ट (पेरोल मॉड्यूल में) – वेतन के माध्यम से कर्मचारी के वसूली योग्य अग्रिम जैसे कि लेखा शीर्ष 2712, 2713, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2722, 2723, 2724 आदि के लिए ।

(ख) फेप द्वारा तैयार की गई अनुसूचियों का मिलान मैनुअल अनुसूचियों से किया जाएगा। इतिशेष के मिलान के दौरान निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए:

(i) 2012-13 में दर्ज देनदारी और फेप में बकाया लेकिन देनदारी जो मैनुअल अनुसूची में दिखाई नहीं दे रही है।

(क क) ऐसे मामलों में बीजक रद्द किए जाएं।

(ii) 2012-13 में दर्ज देनदारी और मेनुअल अनुसूची में बकाया लेकिन देनदारी जो फैप अनुसूची में दिखाई नहीं दे रही है।

(क क) ऐसे मामलों में दिनांक 31.03.2013 की जीएल में बीजक सृजित किए जाएं ।

(iii) 2012-13 में दर्ज देनदारी और जिसका फैप में 2013-14 में भुगतान किया गया लेकिन जो मेनुअल खातों में 2013-14 में दर्ज करने के कारण देनदारी मैनुअल अनुसूची में दिखाई नहीं दे रही है।

(क क) ऐसे मामलों में, वितरण में उपयुक्त व्यय सहित जैसा कि मूल बीजक में लिया गया है, दिनांक 31.03.2013 को क्रेडिट ज्ञापन तैयार किया जाए।

(ख ख) उस तिथि में एक मानक बीजक भी तैयार किया जाए जिसके विवरण सहित वैसा ही भुगतान मूल बीजक में लिया गया है।

(ग ग) क्रेडिट मीमो और मानक बीजक का चयन करें और जिस तिथि को बीजक का भुगतान किया गया हो उसी जीएल तिथि में निवल शून्य राशि के लिए फुटकर रोकड़ राशि के माध्यम से भुगतान करें।

(iv) वर्ष 2013-14 में दर्ज देनदारी और जो फैप में 2013-14 में भुगतान की गई लेकिन 2012-13 में यह देनदारी मेनुअल अनुसूची में दिखाई दे रही है और 2013-14 के मेनुअल खातों में भुगतान की गई है।

(क क) ऐसे मामलों में वितरण में उपयुक्त व्यय पद्धति जैसा कि मूल बीजक के वितरण में आफ्नै गई थी के अनुसार दिनांक 31.03.2013 को मानक बीजक में तैयार किया जाए।

(ख ख) जैसा कि मूल बीजक में लिया गया था वैसा ही भुगतान वितरण पद्धति सहित उसी तिथि में एक क्रेडिट मीमो भी तैयार किया जाए जिसको उसका भुगतान किया गया था।

(ग ग) क्रेडिट मीमो और मानक बीजक का चयन करें और जिस तिथि को बीजक का भुगतान किया गया हो उसी जीएल तिथि में निवल शून्य राशि के लिए फुटकर रोकड़ के माध्यम से भुगतान करें।

(v) फैप में दिनांक 31.03.2013 तक वित्तीय वर्ष 2013-14 में जो भुगतान पहले से ही किया गया है उसके देनदारी खातों के गलत वर्गीकरण के मामलों में उसे मैनुअल अनुसूची में भी चिन्हित किया जाए और फैप में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तथापि, जहां बीजक अभी तक बकाया है, वहाँ सभी बीजकों को दिनांक 31.03.2013 तक रद्द किए जाएं और एक नया बीजक सही देयता खाते के साथ दर्ज किया जाए।

(vi) जहां-कहीं भी पार्टियों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है या लेखांकन सुधारने के लिए लेन-देनों की प्रविष्टियाँ की गई हों, समेकित राशि के लिए बीजक डमी आपूर्तिकर्ता के नाम पर दर्ज किया जा सकता है और जब पूरा विवरण उपलब्ध हो जाए तो उसे सुधारा जाएगा ।

(vii) फैप में दिनांक 31.03.2013 तक एक प्रीपेमेंट बीजक बकाया है लेकिन वह मैनुअल खातों में बकाया नहीं है।

(क क) ऐसे मामलों में एक मानक बीजक जीएल दिनांक 31.03.2013 के साथ एपी मॉड्यूल में उसी दायित्व और वितरण के साथ सृजित किया जाए और उसे दिनांक 31.03.2013 की जीएल दिनांक में प्रीपेमेंट बीजक के लिए लागू किया जाए।

(viii) मैनुअल खातों में दिनांक 31.03.2013 तक अग्रिम बकाया है लेकिन वह फैप अनुसूची में बकाया नहीं है।

(क क) ऐसे मामलों में एआर मॉड्यूल में प्राप्य और राजस्व खातों को 2714 या दिनांक 31.03.2013 तक संगत प्रपट खाता के रूप में एक बीजक सृजित किया जाए।

(ix) वर्ष 2012-13 में दर्ज दावे या कर्जदार और फैप में बकाया लेकिन मेनुअल अनुसूची में दावे या कर्जदार दर्ज नहीं हैं।

(क क) ऐसे मामलों में एआर मॉड्यूल में जैसा कि मूल बीजक में होंगे वैसा ही प्राप्य और राजस्व खातों के साथ क्रेडिट मीमो सृजित किए जाएं और उसे जीएल दिनांक 31.03.2013 के बीजक में लागू किया जाए।

(x) वर्ष 2012-13 में दर्ज दावे या कर्जदार और मैनुअल अनुसूची में बकाया लेकिन फैप अनुसूची में दावे या कर्जदार दर्ज नहीं हैं।

(क क) ऐसे मामलों में जी एल दिनांक 31.03.2013 के साथ ए आर मॉड्यूल में बीजक तैयार किया जाए।

(xi) दिनांक 31.03.2013 तक ए आर मॉड्यूल में लागू नहीं की गई रसीद शेष है लेकिन जो मैनुअल अनुसूची में दर्ज नहीं हैं।

(क क) दिनांक 31.03.2013 तक की रसीद बट्टे खाते में डाल दी गई है।

(xii) पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से किए गए अग्रिम भुगतान का मिलान मेनुअल अनुसूची से अवश्य होना चाहिए जैसा कि पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से वसूली पहले की जा रही थी। किसी भी अंतर के मामले में, लेन-देन की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। यदि किसी मामले में यह देखा गया कि

एमडीपी आदि के माध्यम से पिछले डाटा प्रविष्टि की वजह से अंतर आ रहा है तो पेरोल मॉड्यूल में "ऋण और अग्रिम समायोजन स्क्रीन" के माध्यम से बकाया राशि का समायोजन किया जाएगा।

(xiii) अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों के लिए अनुसूचियाँ फेप के माध्यम से सृजित नहीं की गई है और वार्षिक लेखा समाप्ति के समय ब्याज प्राप्तियों की गणना मैनुअली की जाए और जर्नल प्रविष्टि के समर्थन दस्तावेज के रूप में गणना के साथ फैप में जर्नल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

3. फील्ड कार्यालय परिपत्र सं.10/2013 में पहले से वर्णित लेन-देन के अनुसार स्टॉक डिपोवार / उत्पादवार / स्टॉक की मात्रा के आरंभिक शेष की प्रविष्टि समान्य खाता-बही दिनांक 01.04.2013 में पारित करेंगे ताकि स्टॉक खाता-बही सारांश में आरंभिक शेष सही हो।

4. मुख्यालय स्तर पर अपलोड करने के लिए फील्ड कार्यालय ट्राइल बैलेन्स डाटा टेम्पलेट, एपी बैंक मास्टर डाटा टेम्पलेट और स्थायी परिसम्पत्ति डाटा प्रस्तुत करेंगे। फील्ड कार्यालयों से इस बार की पुष्टि हो जाने पर कि शेष राशि का समाधान कर दिया है क्षेत्रीय कार्यालय मार्च 2012-13 की अवधि समाप्त करेंगे।

5. मुख्यालय का फैप डिविजन मार्च 2012-13 की अवधि के समापन पर फील्ड कार्यालयों से प्राप्त ट्राइल बैलेन्स और परिसंपत्ति टेम्पलेट को अपलोड करेगा।

6. दिनांक 31.03.2013 तक इतिशेष के समाधान के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए।

(आर.आर.अग्रवाल)
महाप्रबंधक (फैप)